न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 27 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 88

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
गणपतलाल गोद पुत्र हरचन्दराम, जाति कलबी, निवासी–खारा, तहसील–सांचौर जिला–जालोर, राजस्थान	हरचन्दराम पुत्र धर्माराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 27.05.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जुनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही

:– निर्णय :– दिनांक :– 28.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा खारा पटवार हल्का खारा, तहसील–सांचौर में खातेदार आराजी नवीन खसरा संख्या 1488 / 137 रकबा 3.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 171 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.28 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त नवीन खसरा पुराने खसरा संख्या 55मी रकबा 601 बीघा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 73 रकबा 111 बीघा 2 बिस्वा में से सृजित किए गये है। उक्त भूमि प्रथम सेटलमेंट में चुतरा, मनरूपा, धर्मा पिसरान किशना, कौम कलबी के नाम रेकर्ड में दर्ज थी। धर्मा के फौत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के प्रावधान के तहत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत उक्त भूमि वारिसान के नाम रेकर्ड में दर्ज की गई है जिसके मुताबिक उक्त भूमि बंटवाड़ा में अप्रार्थी संख्या 1 को बन्ट में दी गई है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है तथा भूमि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत वारिसान् को उतराधिकार में प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 01 की स्वअर्जित संपति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के गोद लिय हुआ एकमात्र मैं गोद पुत्र हूं लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 अपने दीगर भाईयों के बहकावे में आकर दिनांक 12.05.2025 को उक्त भूमि बैचने की मुझे धमकी दी तथा पैतृक सपंति नवीन खसरा संख्या 1488 / 137 रकबा 3.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 171 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.28 हैक्टेयर किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर मुझे भूमिहीन करना चाहता है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक संपति में मेरे हक अधिकार से वंचित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। गोद जाने से मेरे जन्म वाले परिवार में संपति बाबत अधिकार खत्म होकर गोद जाने वाले परिवार में नेचुरल पुत्र की तरह हक अधिकार पैदा हो गये है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त संपति में मेरा नेचुरल पुत्र की तरह हक व अधिकार बनता है जिसके कारण मैं प्रार्थी खातेदारी अधिकारों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:40:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी होने से दावा पेश किया जा चुका है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें कि वें वांके सरहद मौजा खारा पटवार हल्का खारा तहसील सांचौर में स्थित पुश्तैनी खातेदार आराजी नवीन खसरा संख्या संख्या 1488/137 रकबा 3.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 171 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.28 हैक्टेयर भूमि में स्थित प्रार्थी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन करें तथा न ही किसी अन्य से करावें एवं न ही वादग्रस्त आराजी आगे बैचान, रहन, भोगलावा, गिरवी, तर्क, बख्शीश वगैरह ही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **28.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner